(भारत का राजपत्र , असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 224 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, चेन्नै पत्तन न्यास पर चेन्नै इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के प्रचालनों के लिए अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी/10/2009 –सीआईटीपीएल

आदेश

(अक्तूबर 2009 के 23 वें दिन पारित)

यह प्रकरण चेन्नै पत्तन न्यास पर चेन्नै इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) की अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता के विस्तार से संबन्धित है।

2. इस प्राधिकरण ने सीआईटीपीएल की अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था को 30 जून, 2009 तक की वैधता के साथ दिनांक 15 मई, 2009 के आदेश सं.टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल द्वारा अनुमोदित किया था। अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 17 जून, 2009 के आदेश द्वारा 30 सितंबर, 2009 तक विस्तारित किया गया था । यह आदेश भारत के राजपत्र में राजपत्र सं.102 द्वारा दिनांक 20 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया है ।

3. सीआईटीपीएल के प्रशुल्क स्थरीकरण के प्रस्ताव को विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। सीआईटीपीएल और चेन्नै पत्तन न्यास अतिरिक्त सूचनाए/ स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर चुके हैं जो अभी छानबीन के अंतर्गत है।

4. प्रशुल्क न बढ़ाने के अपने ग्राहकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, सीआईटीपीएल ने दिनांक 16 सितंबर, 2009 के अपने पत्र द्वारा प्रचलित अंतरिम प्रशुल्क की वैधता 31 दिसंबर, 2009 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

5. सीआईटीपीएल की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और चूँकि प्रचलित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता 30 सितंबर, 2009 को समाप्त हो गई हैं, यह प्राधिकरण सीआईटीपीएल की प्रचलित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक या सीआईटीपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर अंतिम निपटान होने तक, इसमे से जो भी पहले हो विस्तारित करता है।

6. यदि सीआईटीपीएल द्वारा अपने प्रचालन कार्य शुरु होनेवाले दिन से स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष अर्जित किया जाता है तो उसे निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा